अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 28 / 2012

जयप्रकाश मंडल –– अपीलार्थी

वनाम

हरदेव मंडल वगैरह –– रेस्पाण्डेन्ट्स / विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज, के आदेश दिनांक 22.11.2012 ई० अन्दर वाद संख्या 29 / 2011–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों को बहस के दौरान सुना। अभिलेख का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते हैं कि संदर्भ वाद में मौजाः मुरलीचन्दवा, थाना नं0 –157, अंचल उदाकिशुनगंज जिला– मधेपुरा खाता पुराना 319, खाता नया –395, खेसरा पुराना 1634, खेसरा नया– 1875 रकबा 2 कट्ठा 02 धुर एवं खाता पुराना–344, खाता नया –294, खेसरा पुराना–1656, नया–1887 रकबा –1 कट्ठा 13 धुर 03 धुरकी 05 फुरकी एवं पुराना खाता– 319 नया खाता–395 पुराना खेसरा –1634 नया खेसरा–1875 रकबा 02 कट्ठा 02 धुर है। जिसमें विवाद का विषय उपरोक्त पुराना खाता–344 नया खाता –294 पुराना खेसरा 1656 नया खेसरा–1887 रकबा –01 कट्ठा 13 धुर 03 धुरकी 05 फुरकी एवं पुराना खाता–319 नया खाता–395 पुराना खेसरा –1634 नया खेसरा –1875 रकबा 02 कट्ठा 02 धुर विवादी भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में यह भी कथन करते है कि विवादी भूमि खेसरा पुराना –1634 नया खेसरा –1875 पूर्व में शिवधारी मंडल पे0 यदु मंडल वो ब्रम्हदेव मंडल वो महेश्वर मंडल वो चन्देश्वर मंडल पे0 महाबीर मंडल के संयुक्त हकियत एवं दखल कब्जे की सम्पत्ति थी जिसका हाल सर्वे खतियान शिरधारी मंडल पे0 यदु मंडल 01 अंश वो ब्रम्हदेव मंडल वो महेश्वर मंडल वो चंदेश्वर मंडल पिता महाबीर मंडल 01 अंश के नाम से संयुक्त इन्द्राज हुआ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि विवादी भूमि खेसरा 1875 नया, कुल रकबा–38 डी0 वो एक अन्य खेसरा 1874 नया, कुल रकबा –15 डी0 अर्थात दोनों खेसराओं की कुल एराजी 53 डी0 में से आधा अर्थात 26.1 / 2 डी0 जमीन खतियानी रैयत शिरधारी मंडल के खास हिस्से की जायदाद थी जिसपर शिवधारी मंडल के

स्वर्गीय होने के पश्चात उनकी दो पुत्रियों यथा शकुन्तला देवी वो अनारवती देवी को पूर्ण स्वामित्व वो दखल प्राप्त हुआ। अनारवती देवी ने उपरोक्त खेसराओं 1875 जो विवादी है तथा 1874 जो विवाद का विषय नहीं रहा है कि कुल एराजी में से अपना खास हिस्सा मवाजी 13.1/2 डी0 जमीन अपीलार्थी नितीश कुमार पिता जय प्रकाश मंडल वो हरेराम मंडल पिता बासुदेव मंडल को निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या 1985 दिनांक 24.05.2001 के माध्यम से हस्तांतरित करा दिया वो केता को दखल दिला दिया।

विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि खतियानी रैयत शिरधारी की ज्येष्ठ पुत्री शकुन्तला देवी अपने दो पुत्रों यथा हरेराम मंडल वो जयप्रकाश मंडल अपीलार्थी पिता –वासुदेव मंडल को छोडकर स्वर्गीय हो गयी वो इस प्रकार वादग्रस्त खेसरा अलावे अन्य खेसरा नया 1874 में शकुन्तला देवी द्वारा धारित जमीन पर उनके दोनों पुत्र समान हकियत के साथ संयुक्त रूपेण हकदार वो दखलकार हुए ।

विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि उक्त हरेराम मंडल वो जयप्रकाश मंडल के द्वारा वादग्रस्त खेसरा अलावे उक्त नया खेसरा 1874 में खतियानरी रैयत शिरधारी मंडल की दोनों पुत्रियों द्वारा धारिकत कुल 26.1/2 डी0 भूमि जिसपर उक्त हेराम मंडल वो जयप्रकाश मंडल को सर्वाधिकार प्राप्त था इसे अपीलार्थी नितीश कुमार के पक्ष में निबंधित केवाला दस्तावेज 2414 दिनांक 13.05.2002 के माध्यम से हस्तांतरित कर केता को दखल दिला दिया। अपीलार्थी संख्या –1 जयप्रकाश मंडल अपने परिवार के कर्त्ता वो प्रमुंख हैं वो नितीश कुमार नाबालिग अपीलार्थी के स्वाभाविक अभिभावक हैं। उक्त भूमि अपीलार्थी संख्या –2 के नाम रजिस्ट्री खरीद द्वारा प्राप्त है जिसपर अपीलार्थी हकदार वो दखलकार चले आ रहे हैं वो सरकारी सिरिस्ते में दाखिल खारीज कराकर अपीलार्थी संख्या –2 के नाम से जमाबंदी कायम होकर अद्यतन राजस्व रसीद प्राप्त होते चला आ रहा है वो प्रत्यर्थी को उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है।

विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं अपीलार्थी के द्वारा खरीदगी भूमि बेचने की इच्छा पर प्रत्यर्थी हरदेव मंडल पिता ब्रम्हदेव मंडल वो शीला देबी पति हरदेव मंडल ने कुल जरसम्मन में से कुछ राशि देकर भूमि खरीदने के लिए तैयार हुए शेष जरसम्मन की राशि निबंधन के समय दे देने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त दिनांक 02.01.09 को अपीलार्थी ने उपरोक्त हरदेव मंडल वो शीला देवी के हाथ भूमि बिक्री कर दिया किन्तु जरसम्मन की शेष राशि का भुगतान अपीलार्थी को केवाला दस्तावेज तामिल होने के समय नहीं किया गया तथा अपीलार्थी को घर जाकर कुल जरसम्मन की शेष राशि देने की बात कहा गया।

विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रत्यर्थी हरदेव मंडल द्वारा टाल – मटोल करने पर वकालतन नोटिश भेजा गया परन्तु जरसम्मन की शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया तो अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी हरदेव मंडल वो शीला देवी के विरूद्ध विद्वान सब जज, मधेपुरा के न्यायालय में अधिकार वाद संख्या 146/2009 दायर कर निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या –16 दिनांक 02.01.09 को खारीज किये जाने की याचना की गई । अपीलार्थी के कागजी साक्ष्य सबुतों के आधार पर दिनांक 22.02.11 को विद्वान सब जज, मधेपुरा द्वारा उक्त अधिकार वाद में अपीलार्थी के पक्ष मे आदेश पारित कर निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या –16 दिनांक 02.01.09 को निरस्त कर दिया गया वो दिनांक 03.03.2011 को अपीलार्थी के पक्ष में डिग्री जारी किया गया।

विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के पक्ष में सिविल न्यायालय, मधेपुरा से आदेश वो डिग्री के वावजूद प्रत्यर्थी जोर जबर्दस्ती लाठी के बल पर विपक्षी भूमि को दखल कर लिया जिसके विरूद्ध निम्नन्यायालय में वाद दायर कर दखल दिलाने वो उचित अनुतोष पाने की याचना किये। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के वाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों वो अपीलार्थ के द्वारा दाखिल साक्ष्य सबुतों का अवलोकन किये बिना प्रत्यर्थी के झेठे वो जाल कागजातों के आधार पर सर्वथा विधि

विरूद्ध आदेश पारित कर दिये।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलकर्त्ता ने बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4 के अंदर डी0 सी0 एल0 आर0 उदाकिसुनगंज के न्यायालय में भूमि विवाद केस नं0 29/2011–12 इस बयान के साथ दायर किया कि उनके आवेदन की कंडिका (क) में अंकित विवादी जमीन तथा अन्य जमीन केवाला न0– 16 दिनांक 02.01.2008 ई0 के द्वारा प्रतिवादी को बेच दिया लेकिन कुल जरसम्मन नहीं दिया जिस वजह से अपीलार्थी इस केवाला को नल एवं भ्वाइड घोषित करने तथा अपना हक घोषित करने के लिए अधिकार वाद नं0146/2009 सिविल जज (सब जज) मधेपुरा के न्यायालय में दायर किया जिसमें उनके हक में दिनांक 22.02.11 ई0 को फैसला हुआ और उसके आधार पर डिक्री दिनांक 03.03.11 ई0 को पारित हुई। इसलिए अपीलार्थी ने विवादी जमीन पर अपना अधिकार एवं दखल घोषित करने तथा प्रतिवादी का विवादी जमीन पर दखल को अवैध घोषित करने तथा उस पर दखल दिलाने का केस डी0 सी0 एल0 आर0, उदाकिसुनगंज के न्यायालय में भूमि विवाद केस नं0 29/11–12 दाखिल किया। रेस्पोण्डेन्ट अपीलार्थी से 58000.00 रूपये में विवादी जमीन खरीद किया जिसमें से केवाला दिनांक 02.01.09 ई0 को कुल जरसम्मन में से 29500.00 रूपये अदाय कर दिया और दिनांक 03.01.09 ई0 को बांकी रूपये अपीलार्थी को रामचंद्र मंडल पिता उमेश मंडल तथा केदार मंडल पिता मोती मंडल के सामने दे दिया। इस तथ्य के सबूत में प्रतिवादी ने उक्त रामचंद्र मंडल तथा केदार मंडल का शपथपत्र भी दाखिल किया है। आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट ने विवादी जमीन की खरीदगी के बाद उस पर आवासीय घर दरवाजा बनाकर उसमें अपने परिवार के साथ रहते चले आ रहे हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रतिवादी अपनी आजीविका के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए पंजाब जा रहे थे तो अपीलार्थी जयप्रकाश मंडल ने रेस्पोण्डेन्ट से कहा कि तुमलोग पंजाब जा रहे हो इसलिए असल केवाला मेरे पास सुरक्षित रख दो जिसपर रेस्पोण्डेन्ट ने विश्वास करके विवादी जमीन का मूल केवाला नं0 16 दिनांक 02.01.09 ई0 रेस्पोण्डेन्ट के फूफा अपीलार्थी जय प्रकाश मंडल के जिम्मा में दे दिया जिसका नाजायज फायदा उठाकर धोखा देकर अपीलार्थी ने सिविल जज मधेपुरा में झूठा अधिकार वाद नं0 146/2009 दायर कद दिया जिसमें रेस्पोण्डेन्ट को अपीलार्थी ने सिविल जज (सब जज) के अमला को अपने मेल एवं प्रभाव में लाकर नोटिश का झूठा तामिला प्रतिवेदन हासिल कर लिया जिसके बाद अपीलार्थी ने श्रीमान् सिविल जज मधेपुरा से झूठा एवं मेली तामिला प्रतिवेदन के आधार पर अधिकार वाद नं0 146/2009 में एकतरफा फैसला 22.02.11 ई0 तथा डिक्री दिनांक 03.03.2011 को हासिल कर लिया।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट को जब जानकारी हुई तब उपरोक्त अधिकार वाद नं0 146/2009 में पारित उपरोक्त डिक्री को सेट ए साइड करने के लिए सी0 पी0 सी0 2000 के ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर रेस्पोण्डेन्ट ने विविध वाद नं0 49/2011 श्रीमान् सिविल जज, मधेपुरा के न्यायालय में दाखिल किया जो एडमिट होकर लंबित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया एवं पाया कि ***सिविल जज, मधेपुरा के न्यायालय में इस मामले संबंधित विविध वाद नं0 49/2011 एडमिट होकर लंबित है । ऐसी स्थित में प्रस्तुत अपील वाद इस न्यायालय में पोषणीय प्रतीत नहीं होता है।*** अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल सहरसा